प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 5 जुलाई, 2018

विषय :मेसर्स एम्बिशन्स फ्लाइंग क्लब प्रा0लि0 तथा मेसर्स सुल्तान एजुकेशन सोसायटी को जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी पर वायुयान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-994/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा0 उच्च न्यायालय में योजित सि0मि0रि0पि0सं0: 53686/2017 सुल्तान एजुकेशनल सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य (जनपद अलीगढ़) में दिनांक 17 नवम्बर, 2017 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् निर्णय दिया गया है:-

In the meantime if the petitioner deposits a sum of Rs 33.75 lacs by way of demand draft and furnish an equal amount towards bank guarantee, the impugned order dated 26.10.2017 shall remain in abeyance.

तथा सि0मि0रि0पि0सं0: 53973/2017 एम्बिशन फ्लाइंग क्लब प्रा0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य (जनपद अलीगढ़) में दिनांक 16 नवम्बर, 2017 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् निर्णय दिया गया है:-

In the meanwhile if the petitioner deposits a sum of Rs 33.75 lacs by way of demand draft and furnish an equal amount towards bank guarantee, the impugned order dated 22.09.2017 shall remain in abeyance.

आपके उक्त पत्र दिनांक 29 मार्च, 2018 के माध्यम से यह प्रस्ताव किया गया है कि मेसर्स एम्बिशन्स फ्लाइंग क्लब प्रा0लि0 तथा मेसर्स सुल्तान एजुकेशन सोसायटी से यूजर चार्जेज एवं बैंक गारन्टी 10 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराते हुए इन संस्थाओं को जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी पर वायुयान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्नवत् अनुमति प्रदान कर दी जाए:-

क्र0सं0	संस्था का नाम	अनुबन्ध समाप्ति की तिथि	यूजर चार्जेज की धनराशि	यूजर चार्जेज जमा करने की तिथि	विलम्ब की अवधि	बैंक गारन्टी की धनराशि	जमा/नवीनीकरण की तिथि	विलम्ब की अवधि का ब्याज (धनराशि रू0 में) 10 प्रतिशत की दर में
1	मेसर्स एम्बिशन्स फ्लाइंग क्लब प्रा0लि0 अलीगढ़	29.08.2017	33.75 लाख	20.11.2017	दो माह 21 दिन (82 दिन)	33.75 लाख	20.11.2017	75,822.00
2	मेसर्स सुल्तान एजुकेशनल सोसायटी (चेतक एविएशन)	19.09.2017	33.75 लाख	11.12.2017	दो माह 21 दिन (82 दिन)	33.75 लाख	11.12.2017	75,822.00

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत अलीगढ़ हवाई पट्टी आर0सी0एस0 एयरपोर्ट के रूप में चयनित है। द्वितीय चक्र की बिडिंग के उपरान्त अलीगढ़-लखनऊ रूट चयनित हो गया है और शीघ्र ही एयरलाइन्स आपरेटर द्वारा अलीगढ़-लखनऊ मार्ग पर हवाई सेवा प्रारम्भ की जाएगी। हवाई सेवा प्रारम्भ किए जाने से पूर्व अलीगढ़ स्थित वर्तमान हवाई अड्डे को नो-फ्रिल एयरपोर्ट के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निर्देशानुरूप राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाना है। इंगित करना है कि नागरिक उड्डयन केन्द्रीय सूची का विषय है और राज्य सरकार को अलीगढ़ हवाई अड्डे पर नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार; महानिदेशक, नागर विमानन, नई दिल्ली; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली आदि केन्द्रीय विभागों/एजेन्सियों के निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पन्न करनी है। आर0सी0एस0 योजना के अन्तर्गत वायुसेवा संचालन हेतु अलीगढ़ एयरपोर्ट का आपरेशन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। मा0 उच्च न्यायालय को उक्त सम्पूर्ण स्थिति से उनके आदेश दिनांक 16 नवम्बर, 2017 एवं 17 नवम्बर, 2017 के क्रम में अलग से अवगत कराया जा रहा है।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स एम्बिशन्स फ्लाइंग क्लब प्रा0लि0 तथा मेसर्स सुल्तान एजुकेशन सोसायटी को जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी पर वायुयान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अग्रिम आदेशों तक अनुमति प्रदान की जाती है, जो कि मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत याचिका में पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय एवं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले निर्देशों के अधीन होगी। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 68/2018/701(1)/छप्पन-2018-तद् दिनांक
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।